



2026:AHC:30561

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2749/2026

श्रीमती मुन्नी एवं 4 अन्य

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

..... प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : गौरव तिवारी, रमेश कुमार

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्याम मणि शुक्ला, सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. रिट याचिका में निहित संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचीगण, जो भूमिहीन ग्रामीण हैं, उन्हें वर्ष 1977 में ग्राम सभा द्वारा कुछ भूमि आवंटित की गई थी। इसके अनुपालन में, याची प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे में हैं और बंदोबस्त अधिकारी चक्रबंदी द्वारा दिनांक 26.06.1997 को उनके पक्ष में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198(4) के तहत शुरू की गई कार्यवाही में, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बुलंदशहर द्वारा दिनांक 24.07.2006 के आदेश के माध्यम से याचीगण के पक्ष में भूमि आवंटन को वैध पाया गया था। उपरोक्त आदेश को निजी प्रतिवादीगण द्वारा पुनरीक्षण दायर कर चुनौती दी गई थी और बाद में अधिकारियों द्वारा वर्ष 1997 में दिए गए पट्टे को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि याची के विरुद्ध आदेश पारित करते समय उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198(4) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि चूंकि याचीगण भूमिहीन हैं, इसलिए उपरोक्त पट्टे के अलावा उनके पास कोई अन्य घर उपलब्ध नहीं है और वे उपरोक्त विवादित भूमि पर निवास कर रहे थे।

3. मामला विचारणीय है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से नोटिस स्वीकार किया, श्री श्याम मणि शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 6 के लिए और श्री सुनील कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 7 के लिए नोटिस स्वीकार किया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. प्रतिवादी संख्या 8 को नोटिस जारी किया जाए, जो शीघ्र अति शीघ्र प्रतिदेय हो।
6. एक सप्ताह के भीतर कदम उठाए जाएं।
7. सभी प्रतिवादीगण को प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया जाता है।
8. प्रत्युत्तर शपथ पत्र, यदि कोई हो, उसके बाद दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।
9. शपथ पत्रों के आदान-प्रदान के बाद सूचीबद्ध करें।
10. इस न्यायालय के अगले आदेश तक, पक्षकारों को आज की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है।

(प्रकाश पांडिया न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

सकलेन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"